

पंजीकरण सं० 13/2018-19

पंजीकरण प्रमाण पत्र

श्री रामानन्द सिंह पुत्र स्व० कामता प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम चन्दापुर, पोस्ट मानपुर, थाना व तहसील कोरांव, जिला इलाहाबाद को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद में भवन/मार्ग एवं पुल के सिविल निर्माण के लिये "सी" श्रेणी में ठेकेदारी हेतु पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद के अन्तर्गत समस्त प्रखण्ड में मान्य होना तथा इस प्रतिबन्ध के साथ दिनांक 30.08.2021 तक वैध होगा कि किसी भी समय ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत कोई भी पत्र/तथ्य यदि गलत पाया जाता है तो पंजीकरण स्वतः समाप्त हो जायेगा, एवं नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। इस प्रमाणपत्र की वैधता दिनांक 30.08.2021 के बाद काल समाप्त समझी जायेगी।

नोट- ठेकेदार को पंजीकरण/पंजीकरण कराने के प्रस्ताव एवं विचारों को अन्तर्गत अधिकारी का पंजीकरण कराना एवं साहसपूर्वक प्रस्ताव बनाना अनिवार्य है।


अधीक्षण अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग  
परिमण्डल इलाहाबाद

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड इलाहाबाद को बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कोरांव इलाहाबाद द्वारा निर्गत टी०डी०आर० सं०-734830 दिनांक 02.08.2018 जमा धनराशि रु० 1,00,000/00 जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम केषक है, मूलरूप में इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया उक्त जमानत धनराशि को अपनी सेफ कस्टडी में रख लें और जब तक इस स्तर से कोई आदेश/निर्देश निर्गत न किये जायें तब तक केषक मुक्त न करें (संलग्नक मूल रूप में)।
3. श्री रामानन्द सिंह पुत्र स्व० कामता प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम चन्दापुर, पोस्ट मानपुर, थाना व तहसील कोरांव, जिला इलाहाबाद द्वारा अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड इलाहाबाद।

अधीक्षण अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग  
परिमण्डल इलाहाबाद।



अधीक्षण अभियन्ता